कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

पत्रांकःएस0एस0ए0/आर0टी0ई0–25%/954–59/2021–22 दिनांक –06/07/2021

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
विद्यालय का नाम – चन्द्रसैन कॉन्वेंट एकेडमी मित्रगढ़ रोड
विकास क्षेत्र का नाम – नानौता
यू–डायस कोड – 09010900165

महोदय,

शासनादेश संख्या–3087(1)/79–5–2012–29/2009 टी0सी0–II दिनांक 03.12.2012, शासनादेश संख्या–538/79–6–2013, दिनांक 20.06.2016 एवं शासनादेश संख्या–266/79–5–2016–29/2009 टी0सी0–II दिनांक 24.02.2016 एवं शासनादेश संख्या–582/79–5–2016–29/2009 टी0सी0–II दिनांक 03.03.2016 के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश कराने का प्रावधान है।

उक्तानुक्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश के पत्र सं0–9023/2020–21 दिनांक 22 जनवरी, 2021, एवं पत्र सं0–RTE/PMU/337/2021–22 दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के अनुपालन में प्राप्त आवेदन पत्रों पर लॉटरी के माध्यम से विद्यालय आवंटित किये गये। सूची जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर के अनुमोदनोपरान्त कार्यालय में चस्पा है एवं पत्र के साथ संलग्न भी है।

जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर के कार्यालय आदेश संख्या–एस0एस0ए0/आर0टी0ई0–25%/946–53/2021–22 दिनांक 05.07.2021 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों को उक्तायोजनान्तर्गत चयनित बच्चों के प्रवेश हेतु आदेशित किया गया है। अतः संलग्न पत्र के अनुसार बच्चों का प्रवेश उक्त शासनादेश में विहित निर्देशानुसार करना सुनिश्चित करें, जिससे शासन को सूचित किया जा सकें।

चयनित बच्चों के प्रवेश प्रक्रियान्तर्गत निम्न पत्राजात अनिवार्य रूप से प्राप्त करते हुए जांचोपरान्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायें–

- ➢ आनॅलाईन आवेदन पत्र की छाया प्रति।
- ➢ फॉर्म में लाभ प्राप्त करने हेतु दर्शाये गये समस्त पत्राजातों की जांच मूल प्रमाण पत्रों के साथ।
- ➢ दूरी का मानक– नगरीय क्षेत्रों में वार्ड/सेक्टर तथा ग्राम क्षेत्रों में ग्राम पंचायत।

यदि आवेदनकर्ता के द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा मिथ्या दावे के आधार पर आवेदन किया है तो, सम्बन्धित को प्रवेश से वंचित करते हुए उसका सम्पूर्ण विवरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराया जायें, जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नक–यथोपरि।

RM
(रमेन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

0189
1

RM
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

E:\AA_SSA 18-12-15\AA_SSA 18-12-15\DC Training\Alabhit samuh by faheem\2021-22\Note Sheet.docx